रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120] **नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 25, 2005/भाद्र 3, 1927**

No. 120] **NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 25, 2005/BHADRA 3, 1927**

केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2005

सं. एल-5/25(5)/2003-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग, विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व प्रकाशन के पश्चात् केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2004, जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2005 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 17 का संशोधन.—मूल विनियम के विनियम 17 में, पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि उत्पादन केंद्र को स्थापित, प्रचालित और बनाए रखने के लिए आशयित कोई भी व्यक्ति, समय-समय पर यथा लागू केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग (टैरिफ का अवधारण करने के लिए आवेदन करने, आवेदन का प्रकाशन और अन्य संबंधित विषयों के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2004 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार याचिका के माध्यम से परियोजना आरम्भ करने से पूर्व, परियोजना की पूंजी लागत तथा वित्तीय योजना की 'सैद्धांतिक' स्वीकृति के लिए आयोग के समक्ष आवेदन कर सकेगा। याचिका में परियोजना की प्रमुख विशेषताओं, जिसमें क्षमता, अवस्थिति, स्थल विनिर्दिष्ट विशेषताएं, ईंधन, फायदाग्राहियों, पूंजी लागत प्राक्कलन का ब्यौरा, वित्तीय पैकेज, लगाया जाने (कमीशनिंग) वाला समय, संदर्भ कीमत स्तर, प्राक्कलित पूंजी लागत भी सम्मिलित होगी, के बारे में जानकारी अंतर्विष्ट होगी जिसमें विदेशी मुद्रा संघटक, यदि कोई हो, ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों की सहमति भी है, जिनको विद्युत् का विक्रय किया जाना है, आदि भी है :

परंतु यह और कि जहां आयोग ने परियोजना पूंजी लागत के प्राक्कलनों और वित्तीय परियोजना की 'सैद्धांतिक' स्वीकृति दे दी है, वहां वे वास्तविक पूंजी व्यय संबंधी प्रज्ञावान जांच को लागू करने के लिए मार्गदर्शक कारक होंगे।''

ए. के. सचान, सचिव

[विज्ञापन-III/IV/असाधारण/150/05]

टिप्पण.—मूल विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खंड 4 में तारीख 29-3-2004 को प्रकाशित किए गए थे। मूल विनियमों को तारीख 9-9-2004 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खंड 4 में प्रकाशित केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2004 द्वारा संशोधित किया गया था।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2005

No. L-5/25(5)/2003-CERC.— In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to further amend the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2004 hereinafter referred to as "the Principal Regulations" namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (First Amendment) Regulations, 2005.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of Regulation 17.**—In regulation 17 of the Principal Regulations, the following shall be added after the first proviso, namely :

"Provided further that any person intending to establish, operate and maintain a generating station may make an application before the Commission for 'in principle' acceptance of the project capital cost and financing plan before taking up a project through a petition in accordance with the procedure specified in the Central Electricity Regulatory Commission (procedure for making) application for determination of tariff, publication of the application and other related matters) Regulations, 2004, as applicable from time to time. The petition shall contain information regarding salient features of the project including capacity, location, site specific features, fuel, beneficiaries, break up of capital cost estimates, financial package, schedule of commissioning, reference price level, estimated completion cost including foreign exchange component, if any, consent of beneficiary licensees to whom the electricity is proposed to be sold etc.

Provided further that where the Commission has given in principle' acceptance to the estimates of project capital cost and financing plan, the same shall be the guiding factor for applying prudence check on the actual capital expenditure."

A. K. SACHAN, Secy.

[ADVT. -III/IV/Exty./150/05]

Note.—The Principal Regulations were published in Gazette of India (Extraordinary) Part III, Section 4, on 29-3-2004. The Principal Regulations were amended by the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (First Amendment) Regulations, 2004 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 4, dated 9-9-2004.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.